

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर(भीलवाडा)


रोशन पिता जमनालाल भीणा नि. गोरमगढ

यनाम

जययन्ता पिता जमनालाल भीणा नि. गोरमगढ तगेरा

किसम मुकदमा प्रा0 पत्र 111. 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 611/2023

तारीख हुदम	हुदम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुदम को कामील में जारी हुये
14.6.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉव रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मर एकल/सयुक्त खाते की भूमि ग्राम गोरमगढ प. ह. गाडोली तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 988/86, 990/86, 224/2, 986/86 कुल किता 1 रकबा 0.5827 हेक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाव। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>नैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 शले रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम गोरमगढ प. ह. गाडोली तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 988/86, 990/86, 224/2, 986/86 कुल किता 1 रकबा 0.5827 हेक्टेयर की उभय पक्षा की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु यू. अमिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय दिये जाते है। जो प्रार्थी नौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 14.6.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर (भीलवाडा)


कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा  
क्रमांक / रीडर / 2023 / 611 / 2023 दिनांक :- 14.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 611 / 23 अनवान नेशनल पिता जमना लाल मीणा नि  
गोरमगढ बनाम जसवन्त पिता जमना लाल मीणा, दीपक पिता हमराज मीणा,  
भागचन्द पिता भरवलाल वाष्ट, बालेन्द्र पिता भरवलाल वाष्ट, राजकुमार पिता  
भदरलाल वाष्ट, देवराज पिता फन्दा मीणा गन्दा पिता कल्याण मीणा, शंकर  
पिता कल्याण मीणा, नानालाल पिता कल्याण मीणा, सुमराज पिता रामकरण  
मीणा, प्रमचन्द पिता रामकरण मीणा, भोजा पिता कला मीणा, रामदेव पिता कला  
मीणा साजी पिता कला मीणा नि गोरमगढ वगैरह की पत्थरगढी की पालना  
करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम गोरमगढ प. ह. गाढोली  
तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 988/86, 990/86, 224/2, 986/86 कुल कित्ता  
1 रकबा 0.5827 हैक्टियर भूमि की उमय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु मु  
अमित्छ निरीक्षक अनवरवामी को कमीशन नियुक्ति किया जगा है। कमीशन फौस 500 रु तय  
किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करगा, उनम स 100 रुपय राजकोष में जमा करवे।  
पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष को प्रभावित नही किया जावे। पालना रिपोर्ट 15  
ग्राम में पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)